हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

2 मार्च, 2022

खण्ड–1, अंक–1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 2 मार्च, 2022

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

शोक प्रस्ताव

घोषणाएं–

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची
(ii) अनुपस्थिति सम्बन्धी

(ख) सचिव द्वारा

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी

कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट पेश करना

सदन की मेज पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज–पत्र

सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से संबंधित सूचना

विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

(i) नियम समिति की रिपोर्ट
(ii) प्रवर समिति की रिपोर्ट

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 2 मार्च, 2022

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में मध्याह्न पश्चात् 03.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

15:00 बजे **श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 18 के अनुसरण में, मैंने यह सूचना देनी है कि संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय ने आज 02 मार्च, 2022 को 2:00 बजे मध्याह्न पश्चात् हरियाणा विधान सभा को संबांधित करने की कृपा की है। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है।

(राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति सदन के पटल पर रखी गई।)

माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्मानित सभासदो !

1. **मैं, हरियाणा की 14वीं हरियाणा विधानसभा के तीसरे बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नववर्ष में इस गरिमामय सदन का यह पहला सत्र है और मेरा भी इस सम्मानित सदन में पहला सम्बोधन है।**

2. **इस कालखंड में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में उन महान स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है, जिनके तप, त्याग और सर्वोच्च बलिदान से हमें यह महोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने वाले ज्ञात–अज्ञात सभी शहीदों को नमन करता हूँ। मेरी सरकार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की स्मृति में अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 'आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक' बना रही है।**

3. **अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केन्द्र सरकार ने सिखों के नवम पातशाह, हिन्द की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व एवं सिखो के दशम पातशाह, सरबंसदानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबज़ादों ज़ोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस 26 दिसम्बर को हर वर्ष 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसी प्रकार, अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाने की पहल की है। हमें इस बात का भी गर्व है कि नेताजी की आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा की बड़ी भागीदारी थी।**

4. **केन्द्र सरकार ने कई अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। इससे दुनियाभर में भारत की गौरव और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य**

मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने से करोड़ों देशवासियों की आस्था को मज़बूती मिली है।

5. माननीय सभासदो! जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्ष 2020 से हम कोविड–19 महामारी से जूझ रहे हैं। इस वैश्विक महामारी ने प्रत्येक व्यक्ति को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है– न काल मति वर्तन्ते महान्तः स्वेषु कर्मसु। अर्थात् कर्मठ लोग अपने कर्त्तव्यों में कभी देरी नहीं करते। इसी बात का अनुसरण करते हुए मेरी सरकार ने महामारी से बचाव, राहत व इलाज के पर्याप्त प्रबंध किए हैं।

6. मेरी सरकार और इसका पूरा तंत्र, विशेषकर चिकित्सकों व स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और अन्य अग्रिम पंक्ति के कोविड योद्धाओं के अथक प्रयासों के फलस्वरूप हम इस महामारी पर नियंत्रण पाने में सफल रहे हैं। मैं इस महामारी में प्रदेशवासियों के धैर्य, साहस और विश्वास की सराहना करता हूँ। अब हरियाणा विकास के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ चला है।

7. माननीय सभासदो! मेरी सरकार ने 'सुशासन से सेवा' के संकल्प के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय दर्शन के अनुरूप 'सबका साथ–सबका विकास, सबका विश्वास–सबका प्रयास' और 'हरियाणा एक, हरियाणवी एक' के मूलमंत्र पर चलते हुए प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए काम किया है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि –

''आदर्श समाज वह है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है''।

उनके इस सिद्धांत की पालना करते हुए मेरी सरकार ने क्षेत्रवाद और भाई–भतीजावाद से ऊपर उठकर हर क्षेत्र व हर वर्ग का समुचित विकास किया है। आज पंचकूला से पलवल तक और सिरसा से फरीदाबाद तक बदलाव की इस सुखद बयार को महसूस किया जा सकता है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020–21 में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

सुशासन

8. माननीय सभासदो! हमारे धर्मग्रंथों में शासक का प्रथम कर्त्तव्य प्रजा को सुखी करना माना गया है। गोस्वामी तुलसी दास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है –

'दैहिक दैविक भौतिक तापा,
राम राज्य काहू नाहि व्यापा'।

अर्थात्, रामराज्य में मनुष्य शारीरिक, सांसारिक और दैवी परेशानी से मुक्त होता है। यही वर्तमान सुशासन का मूल मंत्र है। मेरी सरकार ने इसी मूलमंत्र पर चलते हुए पुरानी–जर्जर प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए। भौतिक विकास के साथ–साथ जीवन के सभी मानदण्डों को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। मेरी सरकार ने ऐसे बदलाव किए, जिन्हें अन्य प्रदेशों व केन्द्र सरकार ने अनुसरण किया है। उदाहरण के तौर पर गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन–स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' शुरू की है। गांवों को 'लाल डोरा मुक्त' करने की हरियाणा की योजना को केन्द्र सरकार ने 'स्वामित्व योजना' के रूप में पूरे देश में लागू किया है। 'मेरा पानी–मेरी विरासत' योजना का अध्ययन करने के लिए भी एक केन्द्रीय टीम ने प्रदेश का दौरा किया।

9. सुशासन के अभियान में कोई भी विभाग अथवा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा, जिसमें सुशासन की पहल न की गई हो। मेरी सरकार ने मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए ई–गवर्नेंस की सहायता से नई व्यवस्था बनाई है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। इस नई ई–व्यवस्था में कोई भी नागरिक सरलता से अपना हक प्राप्त कर पाता है। प्रदेश के कमज़ोर, गरीब व आम आदमी को भी आज प्रगति के लाभ मिल रहे हैं। सुशासन के लिए हमने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ई–गवर्नेंस का रास्ता अपनाया है। ''शासन कम, सुशासन ज्यादा'' (Maximum Governance- Minimum Government) को सुनिश्चित करने के लिए कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि हर क्षेत्र में ई–गवर्नेंस की नई–नई पहलें की हैं।

10. ई–गवर्नेंस का यह अभियान अब परिवार पहचान पत्र तक पहुंच चुका है। इस एकमात्र दस्तावेज से लोगों को सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिलेगा और उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब जन्म–मृत्यु का डेटा भी ऑटो अपडेट हो जाएगा।

11. सरकार द्वारा दी जाने वाली पाई–पाई सही लाभार्थी तक पहुंचाने और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सब्सिडी और वित्तीय सहायता के लिए ''डी.बी.टी.'' सुविधा शुरू की गई है।

12. जनता के प्रति प्रशासन की जबाबदेही तय करने और समय पर सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पिछले दिनों 'ऑटो अपील सॉफ्टवेयर' (आस) शुरू किया गया। इससे 570 सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। आवेदक को यदि निर्धारित समय में सेवा नहीं मिलती है, तो उसकी अपील स्वतः ही उच्चाधिकारी को और फिर 'सेवा का अधिकार आयोग' को भी चली जाती है। पारदर्शिता एवं स्थायित्त्व बढ़ाने के लिए ''ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी'' 43 विभागों के 214 कॉडर में लागू की जा चुकी है।

अंत्योदय

13. माननीय सभासदो! गरीबों और कमज़ोर वर्गों की मदद करना हर कल्याणकारी सरकार का संवैधानिक दायित्व और नैतिक कर्त्तव्य होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसे ही 'अंत्योदय' कहा है। मेरी सरकार ने उनके 'अंत्योदय' दर्शन का 'मनसा वाचा कर्मणा' अर्थात् मन, कर्म और वचन से पालन किया है। प्रदेश में इस वर्ष को 'अंत्योदय उत्थान वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है।

14. पंक्ति में खड़े अन्तिम व्यक्ति के कल्याण के लिए मेरी सरकार ने 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' लागू की । परिवार पहचान–पत्र पोर्टल पर लगभग 11 लाख परिवारों की पहचान कर ली गई है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है। इन परिवारों की आय कम से कम 1.80 लाख रुपये सुनिश्चित करने के लिए इनके रोज़गार व कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना के प्रथम चरण में 156 स्थानों पर 289 अंत्योदय मेले लगाकर मदद के लिए लगभग 37000 परिवारों की पहचान की गई है।

15. 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' के तहत 8.77 लाख बी.पी.एल. परिवारों को 270.84 करोड़ रुपये की मदद दी जा चुकी है। इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 2.84 लाख परिवारों को 3.55 करोड़ रुपये के प्रतिवर्ष प्रीमीयम की प्रतिपूर्ति की गई है।

16. गरीबों को 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य–आयुष्मान भारत योजना' के तहत 5 लाख रुपये तक वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई है। अब तक 3 लाख 30 हज़ार क्लेम के भुगतान के लिए लगभग 366 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस योजना में निर्माण श्रमिकों, मान्यता प्राप्त

पत्रकारों, नम्बरदारों, चौकीदारों, द्वितीय विश्वयुद्ध तथा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों, हिन्दी आंदोलन के सत्याग्रहियों को भी शामिल किया जा रहा है।

17. सभी कोरोना मरीज़ों का इलाज व टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। इस महामारी के दौरान अपने परिजनों को खो चुके प्रत्येक मृतक के परिजन को 50 हज़ार रुपये के एक्सग्रेशिया अनुदान तथा बी.पी.एल. परिवारों को सहारा देने के लिए दो लाख रुपये के एक्सग्रेशिया अनुदान और जीवन बीमा का प्रावधान भी किया है। महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास व सहायता के लिए 'मुख्यमंत्री बाल सेवा' योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रति बच्चा 2500 रुपये मासिक मदद दी जा रही है।

अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण

18. मेरी सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रयासरत है। गरीब को अपनी बेटी के हाथ पीले करने में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, इसके लिए "मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना" में शगुन राशि 51 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 71 हज़ार रुपये की गई है।

19. अनुसूचित जातियों और विमुक्त जनजातियों तथा टपरीवास जातियों के लोगों को मकानों की मरम्मत के लिए ''डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना" के तहत दी जाने वाली वित्तीय अनुदान राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये की गई है। अनुसूचित जाति के लोगों को अदालतों में अपने मामलों की पैरवी के लिए कानूनी सहायता स्कीम के तहत दी जाने वाली राशि 11,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये की गई।

सभी के लिए आवास

20. मेरी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के सभी लोगों के सिर पर छत मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी एवं ग्रामीण के तहत अब तक 44,083 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए लगभग 574 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, आवास बोर्ड द्वारा भी इस वित्त वर्ष में 467 मकानों के निर्माण का काम पूरा किया गया।

श्रमिक कल्याण

21. माननीय सभासदो! आप सभी जानते हैं कि 'सत्यमेव जयते' हमारे राष्ट्र का आधार वाक्य है। जो व्यक्ति जीवन के सत्य को समझता है, वही श्रम के महत्त्व और गौरव को समझ सकता है। श्रम की इसी महत्ता के दृष्टिगत मेरी सरकार श्रमिकों के कल्याण व उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत 2 लाख 25 हज़ार 346 श्रमिकों को 154 करोड़ रुपये के लाभ प्रदान किए हैं।

22. औद्योगिक नगरी, मानेसर में श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 500 बिस्तर क्षमता का ईएसआई अस्पताल बनाया जा रहा है। आईएमटी रोहतक और आईएमटी करनाल में 5 नए ईएसआई औषधालयों को मंजूरी दी है।

23. प्रदेश की 87 शहरी स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वेंड्र्स की पहचान का सर्वेक्षण किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 23,709 स्ट्रीट वेंड्र्स को ऋण वितरित किए गए हैं।

सैनिकों व पूर्व सैनिकों का सम्मान

24. हरियाणा का किसान और वीर जवान देश की शान है। मेरी सरकार सैनिकों व उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों व अर्द्ध–सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्स–ग्रेशिया ग्रांट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। युद्ध/आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों की अनुग्रह अनुदान राशि निःशक्तता के आधार पर 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 35 लाख रुपये, 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये और 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की गई है। मेरी सरकार ने वर्ष 2014 से शहीदों के 348 आश्रितों को नौकरी प्रदान की है।

कृषि, किसान कल्याण एवं खाद्य आपूर्ति

25. मेरी सरकार का मानना है कि यदि किसान समृद्ध होगा, तभी प्रदेश में समृद्धि व खुशहाली आएगी। मेरी सरकार ने कृषि सुधार और किसानों के उत्थान के लिए अहम निर्णय लिए हैं। 'एम.एस.पी' पर फसल खरीद की बात हो या प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की भरपाई का विषय हो, मेरी सरकार ''बीज से बाजार तक'' हर कदम पर किसान के साथ खड़ी रही है।

मेरी सरकार ने गत वर्ष में किसानों को उनकी फसलों का 27 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से किया है। प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए मुआवज़ा राशि 12 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की गई। हाल ही में खरीफ–2021 में खराब हुई फसलों के लिए 561 करोड़ रुपये मुआवज़ा तथा 'प्रधानमंत्री फसल बीमा' योजना के तहत लगभग 700 करोड़ रुपये के क्लेम स्वीकृत किए गए हैं। एम.एस.पी. पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है।

26. खरीफ विपणन सीजन 2021 से बाजरे के लिए भी भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई। इस योजना का लाभ उन किसानों को भी मिला है, जिन्होंने मंडियों में अपना बाजरा नहीं बेचा। इतना ही नहीं, जिन किसानों ने अपने उपयोग के लिए बाजरा अपने पास रखा है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिला है। इस योजना के तहत 2.40 लाख किसानों को बाजरे की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और औसत बाजार मूल्य के अंतर 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 436 करोड़ रुपये की भावांतर राशि दी गई है।

27. धान और गेहूं का फसल चक्र न केवल किसानों के लिए घाटे का सौदा है बल्कि इससे प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। इसलिए फसल विविधिकरण एवं बागवानी समय की मांग है। हरियाणा पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' शुरू की है।

28. बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भिवानी, नूंह और झज्जर में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान बागवानी क्षेत्र में वर्टिकल फार्मिंग की एक अनूठी प्रौद्योगिकी लागू की गई और इस खेती में निवेश पर 65 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। मशरूम की खेती के लिए सामान्य किसानों को 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

29. वर्ष 2021–22 में फसल विविधिकरण और जल संरक्षण के लिए 'मेरा पानी–मेरी विरासत' योजना में एग्रो फोरेस्ट्री को भी जोड़ा गया है। अब धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर किसान को 3 वर्ष तक 10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। 'मेरा पानी–मेरी विरासत' योजना के तहत धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत खरीफ–2020 में लगभग 96

हज़ार एकड़ पंजीकृत हुआ और 63 हज़ार एकड़ सत्यापित हुआ तथा खरीफ–2021 में लगभग 97 हज़ार एकड़ पंजीकृत हुआ व 52 हज़ार एकड़ सत्यापित हुआ। फलस्वरूप 74 हज़ार से अधिक किसानों को लगभग 77 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। इसके अलावा, 'डायरेक्ट सीडेड राइस' तकनीक अपनाने वाले किसानों को 5000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया गया।

पशुपालन; मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन

30. पशुपालन ग्रामीणों की आय का एक प्रमुख साधन है। प्रदेश में पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज़ पर 'पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना' शुरू की है। 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन' योजना के तहत सहकारी दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में सीधे डालने के लिए दुग्ध संयंत्रों को 37 करोड़ 9 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई।

31. 'हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति–2021' के तहत वर्ष 2030 तक शहद के उत्पादन को 10 गुणा तक बढ़ाने का लक्ष्य है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने हनी ट्रेड सेंटर की स्थापना की है। यह सेंटर कुरूक्षेत्र के रामनगर में खोला गया है।

32. वर्ष 2022–23 के दौरान 57550 एकड़ क्षेत्र को मत्स्य पालन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है, जिससे लगभग 2.30 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जिला भिवानी के ग्राम गरवा में एकीकृत एक्वा पार्क और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

सहकारिता

33. सहकारिता आंदोलन प्रदेश में छोटे किसानों, ग्रामीण विकास, समाज के कमज़ोर व गरीब वर्गों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेरी सरकार ने इस क्षेत्र को मज़बूती देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। गन्ने का भाव बढ़ाकर 362 रुपये प्रति क्विंटल तक किया है, जो देश में सर्वाधिक है।

34. राज्य सरकार लगभग 760 करोड़ रुपये की लागत से चरणबद्ध तरीके से विभिन्न सहकारी चीनी मिलों के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के साथ–साथ सह–बिजली संयंत्र व एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए भी काम कर रही है। सहकारी चीनी मिलों की दैनिक पिराई क्षमता वर्ष

2013–14 में 27300 मीट्रिक टन थी। इसे बढ़ाकर 29650 मीट्रिक टन किया है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 38 लाख क्विंटल अतिरिक्त गन्ने की पिराई हुई है। गत वर्ष हमने करनाल में 3500 टी.सी.डी. क्षमता की नई चीनी मिल शुरु की है। हमने किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर किया है और गत पिराई के सीजन की समाप्ति उपरान्त समस्त बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।

35. मेरी सरकार ने ग्रामीण अंचल में रोज़गार सृजित करने और उपभोक्ताओं को घरद्वार पर ब्रांडेड उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए 250 हर हित रिटेल आउटलेट खोले हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर हैफेड बाज़ार के नाम से एक नई परियोजना भी शुरू की है जिसमें से तीन बाज़ार आउटलेट्स ने कार्य शुरू कर दिया है।

36. जिला स्तरीय सहकारी बैंकों ने खरीफ फसल सीजन 2021 के दौरान 6100 करोड़ रुपये के ऋण दिए हैं। रबी सीजन 2022 के दौरान 15 जनवरी, 2022 तक 3163.23 करोड़ रुपये के ऋण दिए हैं।

सिंचाई एवं जल संरक्षण

37. प्रदेश में उपलब्ध बहुमूल्य जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना मेरी सरकार की प्राथमिकता है ताकि न केवल वर्तमान आवश्यकताएं पूरी हों बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पानी की कमी से जूझना न पड़े। इसके लिए मेरी सरकार जल संरक्षण पर विशेष बल दे रही है।

38. प्रदेश में तालाबों के सुधार के लिए हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। इसने वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान प्रथम चरण में 1802 गांवों में वेटलैंड टेक्नॉलोजी के माध्यम से 4554 तालाबों के पुनर्वास, नवीनीकरण व पुनरोद्धार का कार्य हाथ में लिया है।

39. प्रदेश में नाबार्ड सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत 32,000 हेक्टेयर भूमि को लाभान्वित करने के लिए नहर आधारित आउटलेट पर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मेवात और गुरुग्राम क्षेत्र को पीने का पानी प्रदान करने के लिए गुड़गांव जल आपूर्ति नहर से 50 किलोमीटर लम्बी पाईप–लाईन के माध्यम से 200 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम क्षेत्र और मेवात नहर फीडर की भविष्य में पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गुड़गांव जल सेवाएं

चैनल की मौजूदा क्षमता 475 क्यूसेक तक बढ़ाने के लिए पुनर्वास का कार्य किया जाएगा।

40. मेरी सरकार ने प्रदेश के गावों के जल संसाधनों की हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के माध्यम से मैपिंग करवाई है। इसी कड़ी में डार्क जोन में खेतों में एकत्रित हुए बारिश के पानी से भू–जल की पुनः भरपाई के लिए 'मेरा पानी मेरी विरासत' के तहत 1000 रिचार्ज कुओं के निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई है।

41. राज्य सरकार ने सरस्वती में जल–प्रवाह के लिए आदिबद्री में सोम नदी पर बांध बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ एमओयू भी किया है। इस बांध के बनने से 224 हेक्टेयर मीटर जल का संग्रहण होगा।

42. मेरी सरकार रावी–ब्यास नदियों के पानी का अपना वैध हिस्सा प्राप्त करने और सतलुज–यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ठोस पैरवी की जा रही है।

शिक्षा; तकनीकी शिक्षा

43. मेरी सरकार ने भावी पीढ़ी को कौशल व संस्कार–युक्त रोज़गारपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। केन्द्र सरकार का इसे 2030 तक लागू करने का लक्ष्य है, परन्तु हरियाणा का लक्ष्य इसे 2025 तक ही लागू करने का है।

44. प्रदेश में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में 138 नये सरकारी मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल खोले गये हैं। राज्य में उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में 1418 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना भी की है।

45. राज्य सरकार वर्ष 2023 तक समस्त पात्र विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का NAAC से आंकलन एवं मूल्यांकन करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। नूंह (मेवात) में एक मल्टीडिसीप्लीनरी राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राजकीय महाविद्यालयों एवं बहुतकनीकी संस्थानों की सभी छात्राओं को उनके आवासीय क्षेत्र से संस्था तक सुरक्षित एवं मुफ्त परिवहन सुविधा शीघ्र प्रदान की जाएगी। छात्रों को स्टार्टअप् एवं उद्यमशीलता के लिए जागरूक करने एवं उन्हें एक सफल उद्यमी बनाने में सहायता करने के लिए पाँच जिलों के राजकीय महाविद्यालयों में इन्क्यूबेशन केन्द्र सफलतापूर्वक

स्थापित किये गये है और इस वर्ष अन्य 17 जिलों में भी इन्क्यूबेशन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ।

46. धन के अभाव में प्रतिभा दबी न रहे, इसलिए सरकारी स्कूलों के होनहार विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर कोचिंग देने के लिए 'सुपर–100 कार्यक्रम' चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सुदृढ़ करने हेतु 'बुनियाद' नामक योजना भी शुरू की गई है जिसके अंतर्गत कक्षा 9 व कक्षा 10 के विद्यार्थियों को कोचिंग दी जायेगी। विदेशों में शिक्षा तथा रोज़गार के अवसर तलाश रहे विद्यार्थियों के निःशुल्क पासपोर्ट बनाये जा रहे हैं।

47. जिला भिवानी के नंदगांव, फरीदाबाद के सिकरोना, करनाल के घरौंडा व इंद्री, सिरसा के जीवननगर, महेंद्रगढ़ के सतनाली व सेहलांग और कुरूक्षेत्र के बहलोलपुर में सत्र 2021–22 से 8 नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू किए गए हैं।

48. वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सैनिक स्कूल रेवाड़ी के भवन निर्माण के लिए 79 करोड़ 59 लाख रुपये की राशि जारी की गई। अंबाला छावनी में 5 एकड़ भूमि पर आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है।

49. उत्तरी भारत का प्रथम मूक एवं बधिर बच्चों का संस्थान, महाज्ञानी ऋषि अष्टावक्र राजकीय बहुतकनीकी, पंचकूला में स्थापित किया गया है। इस संस्थान में इन बच्चों को तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करवाकर हुनरमंद बनाया जाएगा जो कि इनकी आजीविका अर्जित करने में सहायक होगा। आगामी सत्र से राज्य के कुछ अन्य बहुतकनीकी संस्थानों में भी इसी तरह के डिप्लोमा कोर्स कुछ अन्य पाठयक्रमों के साथ जैसे की पुस्तकालय विज्ञान, होटल प्रबंधन इत्यादि में भी प्रारम्भ किये जायेगें। नई शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वित करते हुये प्रौद्योगिकी शिक्षा को हिन्दी में प्रदान करने हेतु जगदीश चन्द्र बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाई०एम०सी०ए० फरीदाबाद में 02 स्नातक डिग्री प्रौद्योगिकी पाठयक्रम सत्र 2021–22 से हिन्दी भाषा में प्रारम्भ किये गये हैं। अगले सत्र से राज्य के बहुतकनीकी सस्थानों में भी कुछ पाठयक्रम हिन्दी में प्रारम्भ किये जायेंगे।

मानव संसाधन एवं सतर्कता

50. मेरी सरकार ने मानव संसाधनों के बेहतर प्रयोग के लिए मानव संसाधन के नाम से एक नये विभाग की स्थापना की है जिसे सभी सरकारी पदों की सेवा शर्तों का विनियमन, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच०आर०एम०एस०)

के जरिए सभी सरकारी कर्मचारियों का डाटा बेस, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, सामान्य पात्रता परीक्षा के संबंध में नीति, प्रशिक्षण नीतियां, राज्य स्तरीय सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाएं, अस्थाई और संविदात्मक सेवाओं के संबंध में नीति, आनलाईन स्थानान्तरण नीतियां, अनुग्रहपूर्वक नीति, सेवा नियम, लोक सेवाओं की सत्यनिष्ठा बनाए रखने तथा भ्रष्टाचार के उन्मूलन और अदक्षता और भ्रष्टाचार के आधार पर कर्मचारियों की छंटनी के लिए नीति, समय–समय पर विभागों का पुनर्गठन आदि कार्य आवंटित किए गए हैं।

51. मेरी सरकार भ्रष्टाचार का पूर्ण उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला स्तर पर सतर्कता कमेटियों का गठन किया गया है जिन्हे द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों/ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है।

रोज़गार

52. मेरी सरकार के कार्यकाल में 83 हजार से भी अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर विभिन्न विभागों में पक्की सरकारी नौकरियां दी गई हैं। परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा नकल करने या कराने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाये गये हैं। इस दिशा में हरियाणा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2021 को लागू किया गया है।

53. युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए बार–बार आवेदन करने और बार–बार परीक्षा देने से मुक्ति दिलाने हेतु 'एकल पंजीकरण' और 'सामान्य पात्रता परीक्षा' का प्रावधान लागू किया गया है। सरकार ने आउटसोर्स व ठेका प्रथा के अतंर्गत कार्यरत व्यक्तियों को बेहतर सुविधा व समय पर वेतन भुगतान के लिए 'हरियाणा कौशल रोजगार निगम' बनाया है । प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र के उद्यमों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 75 प्रतिशत नियोजन किया गया है।

कानून–व्यवस्था

54. मेरी सरकार द्वारा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस तंत्र में बड़े सुधार किये गए हैं और इसका आधुनिकीकरण किया गया है। संकट के समय लोगों की मदद के लिए 'हरियाणा हैल्पलाइन सेवा–112' शुरू की गई है।

इस नम्बर पर कॉल करते ही औसतन 15 मिनट में पुलिस मदद के लिए पहुंच जाती है।

55. हरियाणा पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में आईटी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, राज्य ने 2015 में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) शुरू किया है। हरियाणा पुलिस को 17 जनवरी 2022 को ''राष्ट्रपति कलर'' प्राप्त हुआ है। पुलिस स्टेशन भट्टूकलां जिला फतेहाबाद को देश के 3 श्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में शामिल होने का सम्मान मिला है।

खेल एवं युवा मामले

56. माननीय सभासदो! खेलों में हरियाणा के युवाओं की उपलब्धियों का ज़िक्र होते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। टोक्यो ओलम्पिक में कुल 6 व्यक्तिगत पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार एथलैटिक्स के क्षेत्र में ओलम्पिक स्वर्ण पदक जीतकर नीरज चोपड़ा ने देश व हरियाणा का नाम रोशन किया। इसके अतिरिक्त पुरूष हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे प्रदेश के दो खिलाड़ी शामिल हैं। महिला हॉकी टीम में भी 9 खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से थी, जिन्होंने अपने दमखम और कौशल से सबका मन जीता। पैरालम्पिक में भी देश को मिले 19 में से 6 पदक हमारे खिलाड़ियो ने जीतकर देश का मान बढ़ाया है। इन सब खिलाड़ियों को 52 करोड़ रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई है।

57. हरियाणा के प्रतिभावान खिलाड़ियों को वर्ष 2022 में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने 2 पद्मश्री पुरस्कार, 4 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 8 अर्जुन पुरस्कार, 3 द्रोणाचार्य पुरस्कार तथा 1 मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है जो अभी तक राज्य की सर्वाधिक उपलब्धि है।

58. इस वर्ष हरियाणा पहली बार 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स' की मेजबानी कर रहा है। इसके अंतर्गत हमने खेलों का विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया है जो भविष्य में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

59. हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार राशि देता है। मेरी सरकार ने इस साल अब तक 5,200 खिलाड़ियों के बैंक खातों में 156 करोड़ 70 लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी है। ओलम्पिक खेलों के लिए चुने गए खिलाड़ियों को 5 लाख रुपये की राशि अग्रिम रूप में खुराक तथा प्रशिक्षण आदि हेतू देने का प्रावधान किया गया है। इससे 73 ओलम्पिक/ पैराओलम्पिक क्वालीफाइड खिलाड़ी लाभान्वित हुए हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार नीति के तहत मेरी सरकार ने इस वर्ष 19 खिलाड़ियों को ग्रुप ए, 03 खिलाड़ियों को ग्रुप बी और 41 खिलाड़ियों को ग्रुप सी में सरकारी नौकरी दी गई है।

60. प्रदेश में ''एडवेंचर स्पोर्ट्स'' को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए मोरनी क्षेत्र को ''एडवेंचर स्पोर्ट्स हब'' के रूप में विकसित किया जा रहा है। महान एथलीट सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर मोरनी में एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब स्थापित किया गया है। जिसके तहत युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स में रोजगार का प्रशिक्षण दे रहे हैं।

महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण

61. माननीय सभासदो! स्वामी विवेकानंद ने कहा है –

''जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक दुनिया के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। एक पक्षी के लिए एक पंख पर उड़ना संभव नहीं है।''

मेरी सरकार महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के साथ–साथ उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से भी सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2014 में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी केवल 5.5 प्रतिशत के करीब थी जो अब बढ़कर 9 प्रतिशत के करीब हो गई है। मेरी सरकार का लक्ष्य महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने और उनके सशक्तिकरण के लिए पुलिस में महिलाओं की संख्या को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का है।

62. वित्त वर्ष 2021–22 में 3884 स्वयं सहायता समूहों को 3.88 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध करवाया गया। महिलाओं के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत सब्सिडी की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की गई

है। स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम में 1238 स्वयं सहायता समूह महिला उद्यमों का गठन किया गया है और उद्यम स्थापित करने के लिए 5 करोड़ 25 लाख रुपये वित्तीय सहायता दी गई है।

ग्राम विकास एवं पंचायती राज

63. मेरी सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कई अहम निर्णय लिए हैं। तीनों स्तरों की पंचायतीराज संस्थाओं को और अधिक दायित्व सौंपे जा रहे हैं। सरकार ने पंचायतों की बागडोर पढ़े–लिखे हाथों में सौंपने के बाद ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया है। पिछड़ा वर्ग–ए को भी 8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है। मेरी सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पेंशन देकर उनका सम्मान बढ़ाया है। लोगों के प्रति जबावदेही सुनिशिचित करने के लिए सरपंच पद के सम्बंध में मतदाताओं को 'राइट टू रीकॉल' दिया गया है।

64. सम्मानित सभासदो! गांवों का विकास मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खेतों में आवाजाही को सुगम बनाने के लिए पांच करम के सभी रास्तों को पक्का किया जा रहा है।

65. मेरी सरकार ने ग्रामीण अंचल के लोगों और सरकार के बीच एक सेतू स्थापित करने के लिए 'ग्राम दर्शन पोर्टल' शुरू किया है। ग्रामवासी इस पोर्टल के माध्यम से विकास कार्यों से जुड़ी मांग, सुझाव और शिकायतें सरकार को भेज सकते हैं। ग्रामीणों को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक देने के लिए सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना के तहत अब तक

15 लाख 67 हज़ार से अधिक ग्रामीण परिवारों के स्वामित्व कार्ड बनाए जा चुके हैं।

66. 'दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना' में 2178 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया और 288 उम्मीदवारों को नौकरी प्रदान की गई है।

शहरी विकास; नगर एवं आयोजना

67. माननीय सभासदो! मेरी सरकार ने शहरी निकायों को न केवल शक्तियां प्रदान की हैं बल्कि उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत भी बनाया है। शहरी

स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए अचल संपत्ति के पंजीकरण पर कुल स्टाम्प शुल्क का 2 प्रतिशत उनके खातों में सीधा जमा करवाने का प्रावधान किया गया है। शहरों की हर संपत्ति की प्रॉपर्टी आई. डी. और प्रॉपर्टी टैक्स का अलग पोर्टल बनाया है। शहरी स्थानीय निकायो के कार्यों की स्वीकृति में तेजी लाने के लिए जिला नगर आयुक्तों की नियुक्ति किये गए हैं जिन्हें जिला उपायुक्तों की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

68. गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अब पंचकूला के विकास के लिए मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत फरीदाबाद और करनाल में 824 करोड़ रूपये की लागत से विकास कार्य किये जा रहे हैं जिसमें से 327 करोड़ 59 लाख की 30 परियोजनाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है। अमृत–2 (AMRUT-2) के अंतर्गत

93 शहरी निकायों में पानी, सीवरेज इत्यादि बुनियादी सुविधाओं का प्रबंध किया जायेगा ।

69. 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत उन पर काबिज व्यक्तियों को ही देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत लगभग 7077 लाभार्थियों ने आवेदन किया है।

70. आर्थिक रूप से कमजोर पालिकाओं में बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2021–22 में एक नई 'मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना' शुरू की गई है। इसके तहत 1088 करोड़ 37 लाख रुपये की राशि अब तक विभिन्न पालिकाओं को विकास कार्यों के लिए जारी की जा चुकी है।

71. मेरी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक पहल की हैं। 'कचरे से कंचन' अभियान को गति देने के लिए गुरुग्राम में डीजल तथा पैट्रोल आटो के स्थान पर ई–ओटोरिक्शा चलाने की योजना बनाई है। सोनीपत–पानीपत कलस्टर में कूड़े–कचरे से बिजली बनाने के लिए 6.77 मेगावाट क्षमता का संयंत्र लगाया गया है और जिला गुरुग्राम के गांव बंधवाड़ी में भी ऐसा संयंत्र लगाया जा रहा है।

72. सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये गये ठोस प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 के परिणामों में हरियाणा

को स्टेट अवार्ड मिला है। इसके अलावा, नगर निगम, रोहतक तथा नगर निगम, गुरूग्राम को 'गारबेज–फ्री सिटी' का अवार्ड मिला है। यही नहीं, नगर निगम, गुरुग्राम को 'सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज' का अवार्ड मिला है। शहरी सफाई कर्मचारियों का मासिक वेतन 13 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 16 हजार रुपये या निगम वेज रेट, में से जो अधिकतम हो, किया गया है।

विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा

73. बिजली के बिना आज जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरी सरकार बिजली क्षेत्र के समुचित विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा उपभोक्ताओं के हितों के प्रति भी पूर्ण रूप से सजग है। 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना के तहत प्रदेश के 5569 गांवों को 24 घण्टे बिजली दी जा रही है। मेरी सरकार लाइन लॉस कम करके बिजली दरें कम करने में भी सफल
रही है।

74. मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत करवाते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि बिजली वितरण निगमों का सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटा वर्तमान वित्त वर्ष में दिसम्बर–2021 तक घटकर 15.19 प्रतिशत रह गया, जोकि वित्त वर्ष 2015–16 में 30.02 प्रतिशत था। इतना ही नहीं, बिजली वितरण निगमों ने वित्तीय कारोबार का लक्ष्य लक्षित वर्ष से 2 वर्ष पहले हासिल करते हुए वित्त वर्ष 2020–21 में 636.67 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।

75. दिसम्बर, 2018 तक लम्बित आवेदनों पर ट्यूबवैल कनैक्शन के लिए मेरी सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय के तहत किसानों को विकल्प दिया है कि वे अब 10 एच.पी. तक डिस्कॉम से ग्रिड कनैक्टिड या हरेडा से ऑफ–ग्रिड ट्यूबवैल कनैक्शन ले सकते हैं। अब तक 22,819 ट्यूबवैल कनैक्शन दिए जा चुके हैं।

76. मेरी सरकार ने राज्य में 3 एच.पी. से 10 एच.पी. क्षमता के 50,000 ऑफ–ग्रिड सोलर पंप स्थापित करने की योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। वर्ष 2020–21 में 15,000 तथा वर्ष 2021–22 में लगभग 10,200 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2022–23 में 50,000 ऑफ–ग्रिड सोलर पंप लगाने का प्रस्ताव है।

77. खेतों में पराली की समस्या के निराकरण के लिए मेरी सरकार पराली से बिजली और बायोगैस की परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने तेल विपणन कम्पनियों के साथ मिलकर राज्य में एथेनाल और बायोगैस की परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया है। पानीपत में 100 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता का एथेनाल प्लांट के शीघ्र प्रारम्भ होने की संभावना है। जिससे लगभग 2.5 लाख टन पराली की सालाना खपत हो सकेगी। राज्य में 422 टन प्रतिदिन क्षमता की 299 काम्प्रैस्ड बायोगैस परियोजनाओं के लिए आशय पत्र जारी किए गए है जिनमें लगभग 4.9 लाख टन पराली की खपत हो सकेगी।

परिवहन

78. हरियाणा राज्य परिवहन के बेड़े में 809 नई बसें शामिल की जा रही हैं। किलोमीटर योजना के तहत 562 बसें संचालित की गई हैं तथा 124 इलेक्ट्रिक बसें शीघ्र ही शुरू करने की योजना है। प्रदेश में 9 नए चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान खोले जा रहे है। रोहतक में निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण केंद्र खोला गया है।

अवसंरचना विकास

79. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III के तहत राज्य को 2019–2024 की अवधि के लिए 2500 किलोमीटर को चौड़ा और सुदृढ़ करने का काम आवंटित किया गया है। इसमें से 1243 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हो चुका है। शेष कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लिया जायेगा ।

80. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020–21 में पंचकुला–यमुनानगर, अंबाला–कैथल, जींद–नरवाना–पंजाब सीमा तक तथा सोनीपत–झज्जर राष्ट्रीय राजमार्ग को चारमार्गी बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। भिवानी–चरखी दादरी सड़क को चारमार्गी बनाने का काम पूरा हो गया है।

81. प्रदेश में 3 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। इनमें दिल्ली–वडोदरा एक्सप्रेसवे, इस्माइलाबाद–नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे और दिल्ली–कटरा एक्सप्रेसवे शामिल हैं।

82. मेरी सरकार ने कृषि भूमि एवं अन्य विकास कार्यों में सुगमता लाने के उद्देश्य से दृश्या (Drone Imaging and Information Service of Haryana Limited) का गठन किया गया । इसके तहत ड्रोन पायलट (Drone Pilot) का चयन

और ड्रोनों (Drones) को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है । वर्ष 2022–23 से दृश्या सरकारी विभागों को ड्रोन मैपिंग सेवाएं प्रदान करना शुरू कर देगा ।

83. रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए के.एम.पी. के साथ–साथ 5,618 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले "हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर" हेतू भूमि अर्जन का कार्य चल रहा है। करनाल–यमुनानगर रेलवे लाइन स्थापित करने की प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है।

84. मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से रेलवे स्टेशन–सेक्टर–22 साइबर सिटी तक, फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच, रेजागला चौक से सेक्टर–21 द्वारका तक तथा दिल्ली–सोनीपत–पानीपत–करनाल आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर तक नई मेट्रो परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।

85. मेरी सरकार ने 100 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन व उच्च स्तरीय निगरानी के लिए कार्यवाई शुरू की है । जिसके द्वारा फरवरी के मास तक 14 विभागों की 49 हज़ार करोड़ रूपये की लागत वाली 82 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है।

विमानन

86. मेरी सरकार विकास को गति देने के लिए हिसार में एकीकृत विमानन हब बना रही है। यह लगभग 7200 एकड़ क्षेत्र में बनेगा और इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4720 करोड़ रुपये है। इसके अलावा गुरुग्राम में अत्याधुनिक हेली–हब सुविधा भी स्थापित की जाएगी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

87. मेरी सरकार सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस वित्त वर्ष में 21 नहर आधारित जलघर, 619 नलकूप और 62 बूस्टिंग स्टेशन चालू किए गए हैं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, पानीपत, पलवल, नूंह, करनाल, चरखी–दादरी, भिवानी, सोनीपत और रोहतक जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड के सहयोग से लगभग 1275 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

88. जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर गांव के हर घर में नल से जल देने का है। मेरी सरकार इस लक्ष्य को मार्च,

2022 तक प्राप्त कर लेगी। महाग्राम योजना के तहत 32 गांवों में जलापूर्ति और सीवरेज का कार्य चल रहा है। फरीदाबाद के सोतई गांव में यह कार्य पूरा हो चुका है।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

89. प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना मेरी सरकार का संकल्प है। इसके अलावा, हर जिले में 200 बैड का अस्पताल खोला जा रहा है। जिला फरीदाबाद के छायंसा में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा चुका है। महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकी राम शर्मा के नाम से भिवानी में, जींद के हैबतपुर गांव और महेन्द्रगढ़ के कोरियावास में राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहे हैं।

90. इनके अलावा, जिला कैथल, सिरसा और यमुनानगर राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा कुरूक्षेत्र, कैथल, फरीदाबाद, रेवाड़ी तथा पंचकूला में नर्सिंग कालेज स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

स्वास्थ्य

91. किसी भी देश अथवा समाज की प्रगति के लिए उसके नागरिकों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया है, जिससे हम कोविड–19 महामारी से लड़ने में सफल रहे हैं।

92. प्रदेश में कोविड़ महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए समुचित प्रबन्ध किए गए जिसमें विभाग पूर्णतया सफल रहा।

93. विभाग द्वारा 91 पी०एस०ए० प्लांट स्थापित किए गए, जिनमें से 86 कार्यरत है। इनमें से 43 प्लांट पी०एम० केयर तथा 48 सी०एस०आर० के अंतर्गत स्थापित किए गए।

आयुष

94. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सदियों से हमारी जांची–परखी पद्धतियां हैं। आज के युग में जीवन–शैली से जुड़ी व्याधियों के कारण लोगों का इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति की ओर रुझान बढ़ा है। जिला महेन्द्रगढ़ के गांव पट्टीकरा में स्थापित राजकीय आयुर्वेदिक हस्पताल शुरू हो गया है। जिला झज्जर के गांव देवरखाना में स्नातकोत्तर योग, प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में ओ.पी.डी. शुरू हो गई है। जिला नूंह के अकेड़ा में यूनानी कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मेरी

सरकार ने जिला अम्बाला में होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की स्वीकृति भी प्रदान की है। जिला हिसार के मय्यड़ में 50 बैड का आयुष अस्पताल खोला जा रहा है।

उद्योग एवं व्यापार

95. अर्थ–व्यवस्था के विकास और रोजगार–सृजन में उद्योगों का बड़ा योगदान है। मेरी सरकार ने बड़े पैमाने पर उद्योगों को बढ़ावा देने, 5 लाख नए रोजगार सृजित करने, 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के अवसर पैदा करने तथा निर्यात को 2 लाख करोड़ रुपये तक करने के उद्देश्य से 'हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति–2020' लागू की है।

96. उद्योग को ज्यादा गति प्रदान करने और राज्य भर में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, हरियाणा सरकार ने एम.एस.एम.ई. की उन्नति के लिए विकास में तेजी लाने के लिए पद्मा (**PADMA**) योजना शुरू की है।

97. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एम.एस.एम.ई. विभाग का गठन किया गया है। सभी जिलों में मिनी कलस्टर विकास कार्यक्रम के तहत उद्योगों के मिनी कलस्टर बनाए जा रहे हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसके सभी जिलों में कलस्टर के रूप में उद्योग शुरू करने व हर जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। राज्य मिनी कलस्टर विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 15 मिनी कलस्टर पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर भी लघु व मध्यम उद्योगों के 'कलस्टर' स्थापित करने की योजना है।

98. कृषि तथा बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ''प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना'' के तहत 59 ऋण आवेदन स्वीकृत हुए हैं। हरियाणा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति–2018 के तहत मैगा फूड पार्क तथा कृषि प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी 108.21 करोड़ रुपये की कुल 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

99. ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों के लिए पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और डी. जी. सेट सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 'हरियाणा ग्राम उद्योग विकास योजना' लागू की गई है।

100. स्टार्ट–अप, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 'राज्य में स्टार्टअप के लिए सहायता योजना' के तहत 10 लाख रुपये तक सीड सब्सिडी, 5 लाख रुपये तक लीज रेंटल सब्सिडी, 5 वर्ष के लिए 8 प्रतिशत

तक ब्याज सब्सिडी और 7 वर्ष के लिए 100 प्रतिशत एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

101. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड आदि के ब्याज, पीनल ब्याज, वैट व जीएसटी विवादों, परिवहन करों, खनन बकायों, और स्टाम्प ड्यूटी जैसे सरकारी बकायों व अन्य विवादों के निपटान के लिए 'विवादों का समाधान' योजना शुरू की गई है।

102. उद्योगों की लागत (**Cost of Doing Business**) को कम करने के लिए औद्योगिक प्लाटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाई गई है। प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है।

103. प्राकृतिक संसाधनों की कमी और बंदरगाहों से राज्य की दूरी के बावजूद निर्यात के मामले में राज्य का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान निर्यात बढ़कर लगभग 1,74,572 करोड़ रुपये का हो गया है।

104. ''राज्यों के लाजिस्टिकस सुगमता सुचकांक'' में हरियाणा द्वितीय स्थान पर पहुंच गया है। महेंद्रगढ़ में 886 एकड़ क्षेत्र में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जा रहा है। इसकी लागत 5000 करोड़ रूपये होगी तथा इसे दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसी परियोजना के तहत गुरुग्राम में ग्लोबल स्मार्ट सिटी और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी प्रारंभिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है।

आबकारी एवं कराधान

105. जी.एस.टी. संग्रहण में हरियाणा की उपलब्धियां सराहनीय हैं। वित्त वर्ष 2021–22 में 24,300 करोड़ रुपये के लक्ष्य के समक्ष जनवरी, 2022 तक ही 20,491 करोड़ रुपये का संग्रहण हो चुका है, जोकि वित्त वर्ष 2020–21 की तुलना में 24.77 प्रतिशत अधिक है। आबकारी एवं कराधान विभाग इस वित्तीय वर्ष में जी०एस०टी० संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है ।

106. मेरी सरकार ने जी.एस.टी. की चोरी व हेराफेरी को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। बिल के बिना और फर्जी

बिलों पर माल और सेवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए 'हरियाणा स्टेट जी.एस.टी. इंटेंलीजेंस यूनिट' वर्ष 2021 में स्थापित की गई है। इस यूनिट द्वारा 549 मामले दर्ज किए गए और 213 करोड़ रुपये की राशि वसूली गई। खनन, लोहा और इस्पात, ऑनलाईन गेमिंग और तंबाकू एवम् पान मसाला आदि जैसे चोरी की संभावना वाले क्षेत्र, इस युनिट की निरंतर निगरानी में है ।

107. आमजन को राहत पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने पैट्रोल पर वैट की दर 25 प्रतिशत से घटाकर 18.2 प्रतिशत की है। डीजल पर वैट की दर 16.40 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत की है। रीजनल कनैक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट 21 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की है।

पर्यटन

108. पर्यटन से रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ–साथ अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इस दिशा में मेरी सरकार ने कालका से कलेसर तक पर्यटन हब विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रदेश में फार्म टूरिज्म को नये रूप में ढालते हुए 'होम स्टे स्कीम–2021' भी शुरू की है। इसके तहत छोटे किसान अपने घरों में कमरे बनाकर पर्यटकों को रख सकेंगे।

109. पंचकूला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए मोरनी में एडवेंचर स्पोर्ट्स, टूरिज्म सर्किट रूट, माउंटेन ट्रेकींग, बाइकिंग और पैराग्लाइडिंग सुविधाओं को विकसित किया गया।

पर्यावरण संरक्षण

110. मेरी सरकार ने 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव के लिए ''प्राण वायु देवता पेंशन'' स्कीम शुरू की है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने सभी पंचायतों की 10 प्रतिशत भूमि पर ऑक्सीवन स्थापित करने की पहल की है। प्रथम चरण में ऑक्सीवन करनाल एवं पंचकूला में स्थापित किये जा रहे है।

111. हरियाणा पहली बार दुनिया के वेटलैंड्स मानचित्र पर उभरा है। हमारे दो वेटलैंड्स को 'रामसर सम्मेलन' के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में मान्यता मिली है। इनमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान व जिला झज्जर में भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य शामिल हैं।

कला एवं संस्कृति

112. भौतिक विकास के साथ–साथ हमने गीता की इस महान धरा की सांस्कृतिक धरोहर को भी सुरक्षित रखा है। भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों को अपनी समृद्ध परम्पराओं से अवगत कराने के लिए कुरुक्षेत्र में हर साल अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 'फिल्म सिटी' विकसित करने के लिए उचित कदम उठाये जा रहे हैं।

113. माननीय सभासदो! मेरी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, सुरक्षा और सुशासन के माध्यम से प्रदेश के चहुंमुखी विकास को नए आयाम देने के लिए निरंतर अग्रसर है। प्रदेश के हैप्पीनैस इंडैक्स को बढ़ाने के साथ ईज़ ऑफ लिविंग सरकार का लक्ष्य है। मेरी सरकार ने क्षेत्रवाद और भाई–भतीजावाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर प्रदेश में सन्तुलित, सतत और समान विकास रूपी पौधा लगाया है। कहते हैं–'सहज पके सो मीठा होय'। इसका भी फल मिलने में समय लगेगा, परन्तु फल मीठा होगा।

114. हरियाणा विधानसभा ने सदैव प्रजातन्त्र की महान परम्पराओं का अनुसरण किया है। प्रदेशवासियों की नजरें अपनी आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिये आप पर टिकी हैं। मैं, यहां उपस्थित सभी सदस्यों से, राज्य के हर क्षेत्र के हर व्यक्ति का संतुलित, समान और न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने के प्रकल्प में मेरी सरकार का सहयोग करने का आह्वान करता हूँ। मैं हृदय की गहराइयों से आशा करता हूँ कि आपकी चर्चा, विचार–मंथन और निर्णय अत्यधिक रचनात्मक और उपयोगी साबित होंगे और हर पहलू से हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं पर पूर्णतः खरा उतरेंगे।

वंदे मातरम!

जय हिन्द !

———————

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में शोक प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के बाद और इस सत्र के प्रारम्भ होने से पहले जो महान विभूतियां इस संसार को छोड़कर चली गई हैं, ऐसी महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं सदन के सामने शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं :–

भारत रत्न, स्वर कोकिला लता मंगेशकर

यह सदन भारत रत्न, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के 6 फरवरी, 2022 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 28 सितम्बर, 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। वे वर्ष 1999 में राज्य सभा के लिए मनोनीत हुई। स्वर कोकिला के नाम से विश्वविख्यात लता मंगेशकर जी ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं में 25 हजार से अधिक गीत गाए।

उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तथा 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 2009 में उन्हें फ्रांस ने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट की भी स्थापना की।

उनके निधन से संगीत, कला एवं संस्कृति जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा।

यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन जिला रोहतक के गांव निगाना के स्वतन्त्रता सेनानी श्री उमराव सिंह यादव के 16 जनवरी, 2022 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. कैप्टन साहिल वत्स, रोहतक।
2. सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान, गांव रतन थल, जिला रेवाड़ी।
3. सूबेदार रमेश चन्द्र, गांव जानी, जिला करनाल।
4. मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर कृष्ण कुमार, गांव सुताना, जिला पानीपत।
5. हवलदार रामपाल, गांव बहु अकबरपुर, जिला रोहतक।
6. हवलदार असबीर सिंह, गांव सुदकैन कलां, जिला जींद।
7. हवलदार रामपाल, गांव चितलांग, जिला महेन्द्रगढ़।
8. हवलदार नरेश कुमार, गांव सतनाली, जिला महेन्द्रगढ़।
9. हवलदार प्रवीन कुमार, गांव डूडीवाला किशनपुरा, जिला चरखी दादरी।
10. नायक विजयपाल, गांव नीलाहेड़ी, जिला झज्जर।
11. नायक संदीप दांगी, गांव गढ़ी, जिला हिसार।
12. लांस नायक सचिन डागर, गांव अलीपुर, जिला गुरुग्राम।
13. लांस नायक प्रीत सिंह, गांव जैतपुर, जिला झज्जर।
14. गनर नवीन वशिष्ठ, रोहतक।
15. सिपाही सोमबीर कादियान, गांव सिवाना, जिला झज्जर।
16. सिपाही रविन्द्र कुमार, गांव कारोली, जिला रेवाड़ी।
17. सिपाही साहिल चौहान, गांव मायन, जिला रेवाड़ी।

यह सदन इन वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता है और शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन

मंत्री डॉ. बनवारी लाल के ससुर, **श्री सुवा लाल सिरवा**;

विधायक श्री मोहम्मद इलियास की चाची, **श्रीमती फजरी बेगम**;

विधायक श्री सत्य प्रकाश जरावता की माता, **श्रीमती गुलाब कौर**;

विधायक श्री रामकुमार कश्यप के बेटे, **श्री राजेश कश्यप**;

विधायक श्री नीरज शर्मा के ससुर, **श्री आनंद प्रकाश शर्मा**;

विधायक श्री विनोद भयाणा की ताई, **श्रीमती कैलाश रानी**;

तथा

विधायक श्री अमरजीत ढांडा के पिता, **श्री धर्मपाल सिंह** के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब नेता प्रतिपक्ष शोक प्रस्ताव पर बोलेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी सांपला किलोई): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में पढ़े हैं, उनमें मैं खुद को और अपनी पार्टी को भी शामिल करता हूँ। मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के 6 फरवरी, 2022 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

उनका जन्म 28 सितम्बर, 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। वे वर्ष 1999 में राज्य सभा के लिए मनोनीत हुई। स्वर कोकिला के नाम से विश्वविख्यात लता मंगेशकर जी ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं में 25 हजार से अधिक गीत गाए।

उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 1969 में पदम् भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तथा 1999 में पदम् विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 2009 में उन्हें फ्रांस ने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट की भी स्थापना की।

उनके निधन से संगीत, कला एवं संस्कृति जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा।

मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से जिला रोहतक के गांव निगाना के स्वतंत्रता सेनानी श्री उमराव सिंह यादव के 16 जनवरी, 2022 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूँ, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :–

1. कैप्टन साहिल वत्स, रोहतक।
2. सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान, गांव रतन थल, जिला रेवाड़ी।
3. सूबेदार रमेश चन्द्र, गांव जानी, जिला करनाल।
4. मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर कृष्ण कुमार, गांव सुताना, जिला पानीपत।
5. हवलदार रामपाल, गांव बहु अकबरपुर, जिला रोहतक।
6. हवलदार असबीर सिंह, गांव सुदकैन कलां, जिला जींद।
7. हवलदार रामपाल, गांव चितलांग, जिला महेन्द्रगढ़।
8. हवलदार नरेश कुमार, गांव सतनाली, जिला महेन्द्रगढ़।
9. हवलदार प्रवीन कुमार, गांव डूडीवाला किशनपुरा, जिला चरखी दादरी।
10. नायक विजयपाल, गांव नीलाहेड़ी, जिला झज्जर।
11. नायक संदीप दांगी, गांव गढ़ी, जिला हिसार।
12. लांस नायक सचिन डागर, गांव अलीपुर, जिला गुरुग्राम।
13. लांस नायक प्रीत सिंह, गांव जैतपुर, जिला झज्जर।
14. गनर नवीन वशिष्ठ, रोहतक।
15. सिपाही सोमबीर कादियान, गांव सिवाना, जिला झज्जर।
16. सिपाही रविन्द्र कुमार, गांव कारोली, जिला रेवाड़ी।
17. सिपाही साहिल चौहान, गांव मायन, जिला रेवाड़ी।

मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से इन वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता हूँ और शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से मंत्री डॉ. बनवारी लाल के ससुर, श्री सुवा लाल सिरवा; विधायक श्री मोहम्मद इलियास की चाची, श्रीमती फजरी बेगम;विधायक श्री सत्य प्रकाश जरावता की माता, श्रीमती गुलाब कौर; विधायक श्री रामकुमार कश्यप के बेटे, श्री राजेश कश्यप; विधायक श्री नीरज शर्मा के ससुर, श्री आनंद प्रकाश शर्मा; विधायक श्री विनोद भयाणा की ताई, श्रीमती कैलाश रानी; तथा विधायक श्री अमरजीत ढांडा के पिता, श्री धर्मपाल सिंह के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। मैं अपनी और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौद): अध्यक्ष महोदय, मैं इन शोक प्रस्तावों की सूची में एक नाम और ऐड करवाना चाहता हूँ। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों में से एक मेडीकल की पढ़ाई करने गये 21 वर्षीय श्री नवीन शेखरप्पा, कर्नाटक के रहने वाले की भी भारी गोलाबारी के चलते मौत हो गई है। मैं उसके निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ। मेरा सदन से निवेदन है कि श्री नवीन शेखरप्पा का नाम भी इन शोक प्रस्तावों की सूची में ऐड कर लिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से यह भी निवेदन करता हूँ कि इस शोक प्रस्ताव की एक प्रति शोक–संतप्त परिवार के पास पहुंचा दें।

श्री अध्यक्षः ठीक है, इनके नाम को भी शोक प्रस्तावों की सूची में ऐड कर लिया जायेगा।

माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा की प्रैस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रवीण पांडे की माता श्रीमती देवी पांडे जी का दिनांक 20 जनवरी, 2022 को निधन हो गया है। यदि हाउस की सहमति हो तो श्रीमती देवी पांडे का नाम भी इस शोक प्रस्तावों की सूची में ऐड कर लिया जाये।

आवाजें: ठीक है, जी।

माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं तथा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे।

मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक–संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

घोषणाएं–

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं मार्च सत्र, 2022 के लिये निम्नलिखित सदस्यों को सभापतियों के नामों की सूची (पैनल ऑफ चेयरपर्सन्ज) में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूं:–

1. श्री असीम गोयल, विधायक
2. श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक
3. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक
4. श्री रणधीर सिंह गोलन, विधायक

(ii) अनुपस्थिति सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री लक्ष्मण नापा, विधायक ने मुझे ई–मेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे अपना स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से 2 मार्च, 2022 से 4 मार्च, 2022 तक विधान सभा सत्र की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकेंगे ।

(ख) सचिव द्वारा

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : अब सचिव घोषणा करेंगे ।

श्री सचिव : अध्यक्ष महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने दिसम्बर, सत्र 2021 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं ।

दिसम्बर–सत्र, 2021

1. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
2. हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2021
3. हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
4. हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021
5. पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
6. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2021
7. हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021
8. हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2021

कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारिणी प्रस्तुत करता हूं :–

समिति की बैठक सोमवार, 28 फरवरी, 2022 को 03.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक बुधवार, 02 मार्च, 2022 को 02.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा 06.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् स्थगित होगी तथा मंगलवार, वीरवार तथा शुक्रवार 10:00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 02:00 बजे मध्याह्न–पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

बुधवार, 02 मार्च, 2022 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात् विधान सभा की बैठक आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

समिति ने आगे सिफारिश की कि सोमवार, 07 मार्च, 2022 को विधानसभा की बैठक 11.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 3.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

समिति ने आगे सिफारिश की कि सोमवार, 14 मार्च तथा 21 मार्च, 2022 को विधान सभा की बैठक 02.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा 06.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

समिति ने आगे सिफारिश की कि बुधवार, 16 मार्च, 2022 को विधान सभा की बैठक 10.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 02.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 2 से 4 मार्च, 2022, 7 तथा 8 मार्च, 2022, 14 से 16 मार्च, 2022, 21 मार्च, 2022 तथा 22 मार्च, 2022, को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगाः–

02 मार्च, 2022 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरन्त आधा घंटा पश्चात् सदन की बैठक होगी। (02:00 बजे मध्याह्न–पश्चात्)	1. सदन की मेज़ पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना। 2. शोक प्रस्ताव। 3. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। 4. सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज–पत्र। 5. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 6. हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
वीरवार, 03 मार्च, 2022 (10.00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा। 3. नियम–30 के अधीन गैर–सरकारी कार्य।
शुक्रवार, 04 मार्च, 2022 (10.00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण। 3. वर्ष 2021–2022 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान। 4. नियम–121 के अधीन प्रस्ताव। 5. विधान कार्य।
शनिवार, 05 मार्च, 2022	छुट्टी।
रविवार, 06 मार्च, 2022	छुट्टी।
सोमवार, 07 मार्च, 2022 (11:00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।
मंगलवार, 08 मार्च, 2022 (10:00 बजे प्रातः)	वर्ष 2022–2023 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना।
बुधवार, 09 मार्च, 2022	बैठक नहीं होगी।
वीरवार, 10 मार्च, 2022	बैठक नहीं होगी।

शुक्रवार, 11 मार्च, 2022	बैठक नहीं होगी।
शनिवार, 12 मार्च, 2022	छुट्टी।
रविवार, 13 मार्च, 2022	छुट्टी।

माननीय सदस्यगण, दिनांक 9.3.2022, 10.3.2022 और दिनांक 11.3.2022 को रिसैस पीरियड रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए एडहॉक कमेटीज बनायी जाएंगी। वे एडहॉक कमेटीज इन 3 दिनों तक उस बजट पर चर्चा करेंगी और उसके पश्चात संबंधित एडहॉक कमेटीज अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश करेंगी।

सोमवार, 14 मार्च, 2022 (2:00 बजे मध्याह्न–पश्चात)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2022–2023 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा। 3. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 4. विधान कार्य।
मंगलवार, 15 मार्च, 2022 (10:00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2022–2023 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण। 3. रखे जाने वाले कागज–पत्र, यदि कोई हों।
बुधवार, 16 मार्च, 2022 (10:00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2022–2023 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण। 3. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 4. वर्ष 2021–2022 के लिए बजट अनुमानों (तीसरी किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। 5. विधान कार्य।
वीरवार, 17 मार्च, 2022	बैठक नहीं होगी।
शुक्रवार, 18 मार्च, 2022	छुट्टी।
शनिवार, 19 मार्च, 2022	छुट्टी।
रविवार, 20 मार्च, 2022	छुट्टी।
सोमवार, 21 मार्च, 2022 (2:00 बजे मध्याह्न–पश्चात)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2022–2023 के लिए बजट अनुमानों पर तथा वर्ष 2022–2023 के लिए अनुदानों की मांगों पर वित्त मंत्री द्वारा उत्तर तथा मतदान। 3. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 4. विधान कार्य।
मंगलवार, 22 मार्च, 2022 (10:00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव। 3. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव। 4. रखे जाने वाले कागज–पत्र, यदि कोई हों। 5. वर्ष 2022–2023 के लिए बजट अनुमानों के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक।

6. विधान कार्य।
7. कोई अन्य कार्य।

माननीय सदस्यगण, मैंने यह इस सत्र की हमारी कार्य सलाहकार समिति के द्वारा की गयी सिफारिश पढ़ी है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, आपने अभी दिनांक 9.3.2022, 10.3.2022 और दिनांक 11.3.2022 को एडहॉक कमेटीज की बैठकें होनी बतायी हैं। इनके अतिरिक्त दिनांक 12.3.2022 को शनिवार है, इसलिए इस दिन भी संबंधित एडहॉक कमेटीज की बैठकें कर सकते हैं।

श्री अध्यक्षः मुख्यमंत्री जी, ठीक है दिनांक 12.3.2022 को भी एडहॉक कमेटीज की बैठकें कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, मैंने यह कार्य सलाहकार समिति की बैठक की चर्चा की रिपोर्ट दी है। इसके बाद जो कार्य हैं, चाहे वह प्रश्न काल के बाद कॉलिंग अटैंशन मोशंज हैं या दूसरे कार्य हैं। उनको अगले दिन के सैशन में टेक अप कर लिया जाएगा (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, आपने पहले के सैशंज से ही जीरो ऑवर करवाने का एलान किया हुआ है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी–सांपला–किलोई): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का कहना यह है कि जीरो ऑवर तो रहना ही चाहिए।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, जीरो ऑवर तो होगा ही।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि कार्य सलाहकार समिति ने यह प्रस्ताव रखा है कि जरूरत पड़ी तो हम हाऊस की कन्सैंट लेकर बैठकें बढ़ा देंगे, परन्तु आपने इस बारे में कुछ नहीं बताया।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, हाऊस तो सुप्रीम है, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो हाऊस की सहमति से बैठकें बढ़ा सकते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैंने बी.ए.सी. की मीटिंग में निवेदन किया था कि जरूरत पड़ेगी तो हाऊस की बैठकें बढ़ा दी जाएं और आपने कहा था कि ठीक है जरूरत पड़ेगी तो हाऊस की बैठकें बढ़ा देंगे। इस बात से उस टाईम पर कोई डिस–एग्री नहीं था, इसलिए मैं फिर से हाऊस की बैठकें बढ़ाने के लिए कहूंगा।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, अगर हाऊस की बैठकें बढ़ाने की जरूरत होगी तो हाऊस की सहमति से बैठकें बढ़ा देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

सदन की मेज पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज–पत्र

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र पुनः रखेंगे/रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज पत्र सदन के पटल पर पुनः रखता हूं:–

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस.टी–2, दिनांकित 12 मार्च, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.टी–2, दिनांकित 12 मार्च, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 20/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/जी.एस.टी–2 दिनांकित 31 मार्च, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 25/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/जी.एस.टी–2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/जी.एस.टी–2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/जी.एस.टी–2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/जी.एस.टी–2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/जी.एस.टी–2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/जी.एस.टी–2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 अप्रैल, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/जी.एस.टी–2, दिनांकित 07 मई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 मई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 मई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 मई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 मई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 मई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 मई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/जी.एस.टी–2, दिनांकित 23 जून, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/जी.एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/जी.एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.टी–2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस.टी–2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा

के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 60/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी–2, दिनांकित 07 अगस्त, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70/जी.एस.टी–2, दिनांकित 26 अगस्त, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/जी.एस.टी–2, दिनांकित 26 अगस्त, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 72/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 अगस्त, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 75/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 76/जी.एस.टी–2, दिनांकित 16 सितम्बर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 77/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 79/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा

के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 83/जी.एस.टी–2, दिनांकित 12 अक्तूबर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 84/जी.एस.टी–2, दिनांकित 12 अक्तूबर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 85/जी.एस.टी–2, दिनांकित 12 अक्तूबर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 86/जी.एस.टी–2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 87/जी.एस.टी–2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 88/जी.एस.टी–2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 89/जी.एस.टी–2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 90/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 अक्तूबर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 91/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 अक्तूबर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 92/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 अक्तूबर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 93/जी.एस.टी–2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 94/जी.एस.टी–2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 95/जी.एस.टी–2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 96/जी.एस.टी–2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 97/जी.एस.टी–2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 98/जी.एस.टी–2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 99/जी.एस.टी–2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 100/जी.एस.टी–2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 101/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 दिसम्बर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 102/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 दिसम्बर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 103/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 दिसम्बर, 2020.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जनवरी, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02/जी.एस.टी–2, दिनांकित 22 जनवरी, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03/जी.एस.टी–2, दिनांकित 22 जनवरी, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 04/जी.एस.टी–2 दिनांकित 22 जनवरी, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 05/जी.एस.टी–2, दिनांकित 03 फरवरी, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.टी–2, दिनांकित 22 मार्च, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 09/जी.एस.टी–2, दिनांकित 22 मार्च, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 अप्रैल, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.टी–2, दिनांकित 19 अप्रैल, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 मई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 मई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 मई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 मई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 मई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 मई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 मई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जून, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जून, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जून, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जून, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 32/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जून, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 34/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/जी.एस.टी–2, दिनांकित 06 जुलाई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/जी.एस.टी–2, दिनांकित 06 जुलाई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/जी.एस.टी–2, दिनांकित 26 जुलाई, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा

के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.टी–2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस.टी–2, दिनांकित 14 अक्तूबर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस.टी–2, दिनांकित 14 अक्तूबर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/जी.एस.टी–2, दिनांकित 26 अक्तूबर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/जी.एस.टी–2, दिनांकित 26 अक्तूबर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/जी.एस.टी–2, दिनांकित 26 अक्तूबर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/जी.एस.टी–2, दिनांकित 10 नवम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/जी.एस.टी–2, दिनांकित 10 नवम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65/जी.एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2021.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 21 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार प्रशासकीय सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 7/8/2011–3 ए आर, दिनांकित 26 अगस्त, 2021.

हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ. 67/एच. ए. 12/1999/एस. 24/2004, दिनांकित 1 मार्च, 2021.

हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या 8/134–2019/पीएस (1), दिनांकित 16 अप्रैल, 2021.

हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या 7/24–2020/पीएस (4), दिनांकित 8 दिसम्बर, 2021.

अध्यक्ष महोदय, अब मैं निम्नलिखित कागज पत्र सदन के पटल पर रखता हूं:–

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 67/जी.एस.टी–2, दिनांकित 16 दिसम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 72/जी.एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 73/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2021.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01/जी.जी.एस.टी–2, दिनांकित 4 जनवरी, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02/जी.एस.टी–2, दिनांकित 4 जनवरी, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03/जी.एस.टी–2, दिनांकित 4 जनवरी, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 04/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जनवरी, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 05/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जनवरी, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 06/जी.एस.टी–2, दिनांकित 2 फरवरी, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 07/जी.एस.टी–2, दिनांकित 2 फरवरी, 2022.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.टी–2, दिनांकित 2 फरवरी, 2022.

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2014–2015 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2015–2016 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2016–2017 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017–2018 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2018–2019 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2019–2020 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2020–2021 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2015–2016 के लिए हरियाणा अनुसूचित जातियों, वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2016–2017 के लिए हरियाणा अनुसूचित जातियों, वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017–2018 के लिए हरियाणा अनुसूचित जातियों, वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2016–2017 के लिए हरियाणा पिछडे वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम प्राइवेट लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017–2018 के लिए हरियाणा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम प्राइवेट लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार,

वर्ष 2020–2021 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 22 वीं वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2020–2021 के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2016–2017 के लिए हरियाणा राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017–2018 के लिए हरियाणा राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से संबंधित सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि हरियाणा विधान सभा की श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए श्रीमती निर्मल रानी, विधायक एवं पंडित नीरज शर्मा, विधायक को श्रेष्ठ विधायक चुना गया है। मेरी तरफ से तथा सदन के सभी सदस्यों की तरफ से दोनों विधायकों को बहुत–बहुत बधाई।

अब मैं समिति के सदस्यों श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री, श्री दुष्यंत चौटाला, माननीय उप–मुख्यमंत्री, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री कंवर पाल, माननीय संसदीय कार्यमंत्री और श्री रणबीर सिंह गंगवा, माननीय उपाध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे यहां पर आकर दोनों विधायकों श्रीमती निर्मल रानी, विधायक एवं पंडित नीरज शर्मा, विधायक को श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित करें।

(इस समय श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति के सदस्यों द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए श्रेष्ठ विधायक श्रीमती निर्मल रानी और पंडित नीरज शर्मा को मोमैंटो, प्रशस्ति–पत्र, शॉल एवं एक–एक लाख रुपये के कैश अवार्ड चैक्स देकर सम्मानित किया गया।)

विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

(i) नियम समिति की रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मैं हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के उक्त नियम 242 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार संशोधनों से सम्बंधित समिति की दी गई सिफारिशों पर नियम समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

(ii) प्रवर समिति की रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रवर समिति के चेयरपर्सन हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, प्रवर समिति (श्री रणबीर सिंह गंगवा) : स्पीकर सर, मैं हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन वीरवार, दिनांक 03 मार्च, 2022 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*03.30 बजे

(तत्पश्चात् सभा वीरवार, दिनांक 03 मार्च, 2022 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)